[illegible]ायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 48 / 2019
तारीख दायर : 21.06.2019

उपजिला मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़

अनवान

1. धापूदेवी पत्नि मदनलाल धाकड़ निवासी पीथाजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. शारदादेवी पत्नि जमनालाल शर्मा निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. राजू पिता गोकल धाकड़ निवासी पीथाजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. संग्राम पिता छगना धाकड़ निवासी पीथाजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. धन्ना पिता छोटू धाकड़ निवासी पीथाजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री हरिओम सनाढय (अधिवक्ता अप्रार्थीगण–1,2)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 17.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाण्डकाखेड़ा पटवार हल्का मुकन्दपुरिया में स्थित भूमि आराजी संख्या 150/3, 150/1, 151/1 किता 3 रकबा 5 बीघा 8 विस्वा पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का प्रार्थीगण गै0मु0 सड़क आराजी नम्बर 248/154 से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 154 की पूर्वी मेर पर स्थित रास्ते से होते हुए अपनी आराजी नम्बर 150/3 पर पहुँचते है। उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौड़ा है। वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रण कर रखा है। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने से महरूम हो रहे है। एवं फसल की देखरेख नही कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 150/3 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 154 की पूर्वी मेर पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक 19.03.2019 को विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम सनाढय द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.11.20[illegible] [illegible] सूचना अनुपसिथत रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी गयी। [illegible]11.2019 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0टि0ए0 पेश किया। [illegible] जवाबदावा पेशकिया गया। जवाब का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया [illegible] की खातेदारी में आने जाने का रास्ता पूर्व से ही मौजूद है। जिसका उपयोग उपभो[illegible] अपने पूर्वजो के समय से ही करते चले आ रहे जो कि [illegible]ल हाईवे 758 भीलवाड़ा [illegible] रोड़ [illegible]सके अराजी नम्बर 162 है से होता हुआ आराजी नम्बर 167 बिलानाम भूमि में होते हुये आराजी नम्बर 168 के उत्तर दिशा के सहारे सहारे होता हुआ आराजी नम्बर 150/3 की उत्तरी मेड में पहुँचता है उक्त रास्ता आराजी नम्बर 168 राजस्व नक्से में कदीमी डोटेड लाईन रास्ते को अंकित करती है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय ये करते चले आ रहे है आराजी नम्बर 168 खातेदार रूपा पिता छोगा धाकड़ की खातेदारी में दर्ज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:20:02 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

र्थीगया संख्या 1 धापूदेवी पत्नि मदन लाल धाकड़ का ससुर होकर अपने परिवार के सदस्य । उक्त रास्ता मौके पर करीब 15 फीट जो चालु हालत में है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में दिखाया गया रास्ता गलत अंकित किया गया जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण द्वारा कभी नही किया गया विपक्षीगण को नाजायज परेशान करने के नियत से विपक्षीगण ने इस प्रार्थनापत्र से पूर्व ग्राम भाण्ड का खेड़ा पटवार हल्का मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ आराजी नम्बर 150/3 से रास्ते का प्रार्थनापत्र पेश किया जिस रंजिस से झुठे तथ्य अंकित कर प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे खारीज किया जाना आवश्यक है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकृषित नही होते है। उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होकर खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 12.12.2019 को तहसील मार्फत पटवारी मुकन्दपुरिया द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शसामिल पत्रावली किया गया। वर्तमान में प्रार्थी खातेदार धापूदेवी पत्नि मदनलाल अपने स्वयं के आराजी 150/1, 150/0, 151/1 कुल किता 3 रकबा 5.08 बीघा में जाने हेतु आराजी नम्बर 162 नेशनल हाईवे 758 गै0मु0 सड़क आराजी नम्बर 167 बिलानाम गैर काबिज काश्त व आराजी नम्बर 168 खातेदार रूपा पिता छोगा धाकड़ निवासी पीथाजीकाखेड़ा में से होकर गुजरती है तथा आराजी नम्बर 168 प्रार्थीया के सगे श्वसुर की खातेदारी भूमि है व आराजी नम्बर 162 व 167 सरकारी भूमि है। रेकॉर्ड में आराजी नम्बर 168 में नक्से में गेटेड लाईन डली हुई है। प्रर्थीया ने जिस आराजी पर आने जाने हेतु रास्ते की मांग की है उसके लिये मौके पर रास्ता उपलब्ध है तथा वर्तमान में चालु होकर खुलासा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण रासता देने की आवश्यकता नही है।

दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2019/19 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम भाण्डकाखेड़ा पटवार हल्का मुकन्दपुरिया की आराजी संख्या 150/1, 150/3 व 151/1 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 154 व 167 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मौके पर वर्तमान में आराजी नम्बर 168 किस्म नहरी से प्रार्थी निकलते है जो मौके पर चालु होकर खुलासा है। मांगा गया खसरा नम्बर 154 में रास्ता लघुतम है। विपक्षी की आराजी में से 05 विस्वा 18 बिस्वांसी भूमि रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 05 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 362607 रूपये प्रति बीघा से 108782 रूपये बनती है। दुगुनी दर 217564 रूपये है।

हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान में आराजी नम्बर 168 किस्म नहरी से प्रार्थी निकलते है जो मौके पर चालु होकर खुलासा है। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया आराजी संख्या 154 में से रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 05 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 05 बिस्वा 18 बिस्वांसी खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 362607 रू. प्रति बीघा से 108782 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 217564 रू. बनती है। प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में ग्राम भाण्ड का खेड़ा पटवार हल्का मुकन्दपुरिया के आराजी संख्या 150/1, 150/3 व 151/1 में पंहुचने के लिये अप्रार्थी के आराजी संख्या 154 व 167 में से रास्ता चाहा गया है। मगर उक्त प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जिस भूमि में पंहुचने के लिये रास्ता चाहा गया है वहां आराजी संख्या 168 से वर्तमान में रास्ता उपलब्ध है एवं मौके पर चालू होकर खुलासा होना अंकित किया है। जिससे प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौके पर वै[illegible]ता होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.09.2020 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:20:02 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपजिला मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner